International Journal of Creative and Open Research in Engineering and Management
ISSN: 3108-1754 (Online)
Volume 02 Issue 09 September-2026 | Impact Factor: 3.5

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: एक मूल्यांकन

गौरव माहेवरी

भाोधार्थी (वाणिज्य विभाग), महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड वि वविद्यालय बरेली (यू0पी0)।

सारां ा

How to Cite this Article:

Maheshwari, G. (2026). प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: एक मूल्यांकन. International Journal of Creative and Open Research in Engineering and Management, <i>02</i>(9), 1-9. https://doi.org/10.55041/ijcope.v2i9.005

License:

This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and the source are credited.

© The Author(s). Published by International Journal of Creative and Open Research in Engineering and Management.

https://doi.org/10.55041/ijcope.v2i9.005

भारत एक कृशि प्रधान दे ा है इसकी जनसंख्या का लगभग 60 प्रति ात भाग कृशि क्षेत्र में नियोजित है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृशि का लगभग 24 प्रति ात योगदान है जबकि वर्श 1950–51 में दे ा की कुल जनसंख्या का 75 प्रति ात भाग कृशि क्षेत्र में नियोजित था और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60 प्रति ात भाग कृशि क्षेत्र से प्राप्त होता था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृशि का योगदान निरन्तर घट रहा है। भारतीय कृशकों का कृशि से लगातार होने वाली हानि के कारण मोह भंग हो रहा है यद्यपि किसानों के मोह भंग होने के अनेक कारण है परन्तु प्रमुख कारण है भारतीय कृशि की मौसम पर निर्भरता। भारतीय कृशि की मौसम पर निर्भरता अनेक प्रकार के जोखिमों को जन्म देती है। कई बार असमय वर्शा, ओलावृश्टि या अन्य आपदाओं के कारण खड़ी फसल पूर्णता नश्ट हो जाती है। कृशक न तो अपना पेट भरने लायक कमा पता है और न ही बैंक का ऋण चुका पाता जिससे किसान अनेक प्रकार के जोखिमों का सामना करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप आदि किसानों की फसलों को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। ऐसे में फसल बीमा एक प्रभावी साधन के रूप में सामने आता है। 1985 में भारत में फसल बीमा योजना की भाुरूआत की गई थी। इस योजना में सभी प्रमुख फसलों को भाामिल किया गया । यह योजना ऑल रिस्क कॉम्प्रिहैन्सिव क्राप इन्‍ योरेंन्स स्कीम (सी0 सी0 आई0 एस0) के नाम से जानी जाती थी। वर्श 1999 में इस योजना का नाम परिवर्तित कर राश्ट्रीय कृशि बीमा योजना कर दिया गया परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र में होने के कारण बीमा दावों, प्रीमियम आदि के सही निर्धारण न होने की वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। इसी क्रम में वर्श 2016 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। यह योजना किसानों को फसल हानि की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा देने हेतु एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखी गई। इस योजना के अन्तर्गत निजी कम्पनियों के लिए भी फसल बीमा के क्षेत्र को खोल दिया गया।

प्रस्तुत भाोध पत्र का उद्देभय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का वि लेशण कर इसकी प्रगति व प्रद िन का मूल्यांकन करना है।

मुख्य भाब्दावली– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक आपदाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था, वित्तीय सुरक्षा, बीमा दावा।

भारत में फसल बीमा का ऐतिहासिक विकास– भारत में फसल बीमा की अवधारणा पर स्वतंन्त्रता प्राप्ति के प चात गंभीरता से विचार किया गया। कृशि क्षेत्र में बढ़ते जोखिमों तथा किसानों की आर्थिका असुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय– समय पर विभिन्न फसल बीमा योजनाएं लागू की गईं। भारत में फसल बीमा संबंधी विचार सर्वप्रथम वर्श 1948 में सामने आया, जब कृशि जोखिमों के विरूद्ध किसानों को सुरक्षा प्रदान करने की आव यकता अनुभव की गई। इसके प चात् अनेक समितियों एवं आयोगों ने फसल बीमा की व्यवहार्यता का अध्ययन किया। वर्श 1972 में सामान्य बीमा

निगम द्वारा सीमित स्तर पर फसल बीमा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। यद्यपि यह कार्यक्रम व्यापक रूप से सफल नहीं हो सका, फिर भी इसने भविश्य की योजनाओं के लिए आधार तैयार किया। वर्श 1985 में व्यापक फसल बीमा योजना प्रारम्भ की गई। यह भारत में फसल बीमा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था। योजना का उद्दे य ऋण प्राप्त किसानों को फसल हानि के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करना था। इसके प चात् वर्श 1999 में राश्ट्रीय कृशि बीमा योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत अधिक फसलों को भाामिल किया गया तथा किसानों को व्यापक बीमा सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया गया। वर्श 2010 में सं ाोधित राश्ट्रीय कृशि बीमा योजना लागू की गई। इस योजना में तकनीकी सुधारों एवं अधिक पारद िता पर बल दिया गया। इसके साथ ही मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी संचालित की गई। यद्यपि इन योजनाओं से किसानों को कुछ हद तक लाभ प्राप्त हुआ, तथापि अनेक व्यावहारिक समस्याएं बनी रहीं। दावा भुगतान में विलम्ब, सीमित कवरेज, उच्च प्रीमियम दरें तथा प्र ाासनिक जटिलताएं प्रमुख चुनौतियां थी। परिणामस्वरूप एक अधिक प्रभावी एवं व्यापक योजना की आव यकता अनुभव की गई।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी0एम0एफ0बी0वाई0)–

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वि व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है इसका भाुभारम्भ 18 फरवरी 2016 को किया गया इसका उद्दे य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों से होने वाले नुकसान से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के पूर्व दे ा में संचालित राश्ट्रीय कृशि बीमा योजना और कृशि बीमा योजना सं ाोधित दोनों की वि ोशताओं को भाामिल करके और उनकी कमियों को दूर कर इस योजना से प्रतिस्थापित किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा का उद्दे य प्राकृतिक जोखिमो से फसल को सुरक्षा प्रदान कर एक व्यापक बीमा कवर उपलब्ध कराना है इस योजना में सभी खाद्य और तिलहन फसलें एवं वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलें भाामिल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृशकों को श्रेणी में विभाजित कर दिया गया एक ऋणी और दूसरा गैर ऋणी। यह योजना ऋणी कृशकों जिन्होंने किसी संग्रहित क्षेत्र की संस्था से ऋण प्राप्त किया है उन पर अनिवार्य रूप से लागू हो जाती है व अन्य गैर ऋणी कृशकों पर यह योजना ऐच्छिक होती है। कृशि में जोखिम के लिए प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नही रहती। बाजार की अनियमितता, मूल्य उतार–चढ़ाव और विपणन की कठिनाइयाँ भी नुकसानों के लिए जोखिम उत्पन्न करती है। किसानों प्राकृतिक आपदाएँ और बाजार की अनियमितता नुकसानों की आय को अस्थिर बनाती हैं और उनके जीने के स्तर को प्रभावित करती है। कृषि में जोखिम और प्राकृतिक आपदाओं की समस्या को देखते हुए नुकसानों के लिए बीमा की आव यकता अत्यंत महत्व्पूर्ण हो जाती है। बीमा नुकसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है और उन प्राकृतिक आपदाओं तथा बाजार की अनियमितताओं से बचाता है। किसानों सीमांत और लघु कृषकों के पास भूमि का आकार छोटा होता है और उनकी आय सीमित होती है यदि प्राकृतिक आपदा या बाजार की समस्या के कारण उनकी फसल नश्ट हो जाती है तो उनके पास पुनः निवे ा करने की क्षमता नहीं रहती।

भारतीय कृशि में जोखिम एवं अनि चतता की समस्या– भारतीय कृशि को वि व की सबसे अधिक जोखिमग्रस्त कृशि प्रणालियों में से एक माना जाता है। कृशि उत्पादन की प्रक्रिया अनेक प्राकृतिक, आर्थिक, तकनीकी एवं संस्थागत कारकों से प्रभावित होती है, जिन पर कृशकों का प्रत्यक्ष नियन्त्रण नहीं होता। इन कारकों की अनि चतता कृशि उत्पादन , कृशि आय तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को निरन्तर प्रभावित करती रहती हैं। परिणामस्वरूप कृशि क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन एक महत्वपूर्ण नीति विशय बन गया है।

जोखिम से आ ाय ऐसी स्थिति से है जिसमें भविश्य की घटनाओं के परिणामों के संबंध में पूर्ण नि चतता उपलब्ध नहीं होती । कृशि क्षेत्र में जोखिम का तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जिनके कारण फसल उत्पादन, उत्पादकता अथवा कृशक आय में कमी आ सकती है। भारतीय कृशि मुख्यतः मानसूनी वर्शा पर आधारित है, इसलिए वर्शा की मात्रा, समय एवं वितरण में होने वाले परिवर्तन कृशि उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।

भारतीय कृशि में जोखिमों को मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

प्राकृतिक जोखिम– प्राकृतिक जोखिम कृशि क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। सूखा, बाढ़, ओलावृश्टि, चक्रवात, पाला, अतिवृश्टि एवं अल्पवृश्टि जैसी घटनाएं प्रतिवर्श लाखों किसानों को प्रभावित करती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण इन घटनाओं की आवृति एवं तीव्रता में वृद्धि देखी जा रही है।

जैविक जोखिम– फसलों में कीट एवं रोगों का प्रकोप कृशि उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

मूल्य जोखिम– कृशि उत्पादों के बाजार मूल्य में होने वाले उतार– चढ़ाव किसानों की आय को प्रभावित करते हैं। कई बार उत्पादन अधिक होने के कारण बाजार मूल्य में गिरावट आ जाती है, जिससे किसानों को उत्पादन लागत भी प्राप्त नहीं हो पाती।

वित्तिय जोखिम– कृशि निवे ा के लिए अधिकां ा किसान ऋण पर निर्भर रहते हैं। फसल क्षति की स्थिति में ऋण चुकाने की क्षमता प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप किसान ऋणग्रस्तता की समस्या से घिर जाते हैं।

तकनीकी एवं संस्थागत जोखिम– उन्नत कृशि तकनीकों, गुणवत्तायुक्त बीज, सिंचाई सुविधाओं तथा कृशि विस्तार सेवाओं की अनुपलब्धता भी कृशि उत्पादन को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी नीतियों एवं प्र ाासनिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन भी कृशकों के लिए अनिि चतता उत्पन्न करते हैं।

स्पश्टतः कृशि क्षेत्र की प्रकृति ही ऐसी है जिसमें जोखिम एवं अनिि चतता को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता । अतः आव यक है कि किसानों को ऐसे प्रभावी सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराए जाएँ जो उन्हें संभावित हानियों से संरक्षण प्रदान कर सकें। इसी उद्दे य की पूर्ति में फसल बीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

योजना के उद्दे य– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के निम्नलिखित प्रमुख उद्दे य है

1.किसानों को फसल हानि से वित्तिय सुरक्षा प्रदान करना।

2. कृशि में जोखिम प्रबंधन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना।

3. किसानों को सुनिि चत आय का आधार प्रदान करना।

4. आधुनिक तकनीकों व खेती के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना।

योजना की प्रमुख वि ोशताएँ

1. खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम दर 2 प्रति ात और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रति ात निर्धारित है।

2. बीमा का कवरेज बीज बोने से लेकर फसल कटाई तक होता है।

3. प्राकृतिक आपदा, कीट, रोग आदि सभी का समावे ा।

4. पूरे भारत में लागू योजना।

5. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पारदर्िता सुनिि चत की गई है।

<u>**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समस्याएँ–**</u> <u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना</u> का उद्दे य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोगों से होने वाली फसल क्षति के विरूद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यद्यपि योजना ने दे ा के लाखों किसानों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई है, फिर भी इसके क्रियान्वयन में अनेक व्यवहारिक, प्र ाासनिक एवं संस्थागत समस्याएँ देखने को मिलती हैं। इन समस्यायों के कारण योजना का अपेक्षित लाभ सभी पात्र किसानों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुँच पाया है। प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित है।

International Journal of Creative and Open Research in Engineering and Management
ISSN: 3108-1754 (Online)
Volume 02 Issue 09 September-2026 | Impact Factor: 3.5

1. किसानों में जागरूकता का अभाव– योजना की सबसे बड़ी समस्या किसानों में पर्याप्त जागरूकता का अभाव है। अनेक किसानों को योजना की पात्रता, बीमा प्रीमियम, दावा प्रक्रिया, अंतिम तिथि तथा बीमा कवरेज की सही जानकारी नहीं होती। परिणामस्वरूप अनेक पात्र किसान योजना से वंचित रह जाते हैं।

2. दावा भुगतान में विलम्ब – योजना के अंतर्गत फसल क्षति के बाद दावा भुगतान में कई बार अत्यधिक विलम्ब होता है। फसल कटाई प्रयोग, प्र ासनिक प्रक्रियायों तथा राज्य सरकारों एवं बीमा कंपनियों के मध्य समन्वय की कमी के कारण किसानों को समय पर मुआवजा प्राप्त नहीं हो पाता।

3. फसल क्षति के आकलन में कठिनाई– फसल क्षति का सही एवं समयबद्ध आकलन योजना के सफल संचालन की सबसे बड़ी चुनौती है। अनेक क्षेत्रों में अभी भी पारम्परिक फसल कटाई प्रयोगों पर निर्भरता होने के कारण वास्तविक क्षति का सही आकलन नहीं हो पाता। इससे किसानों में अंसतोश उत्पन्न होता है।

4. बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली– कई किसानों द्वारा यह ि कायत की जाती है कि बीमा कंपनियॉ दावा निपटान में पारदि ता नहीं बरततीं। कई मामलों में दावों का निस्तारण बिना स्पश्ट कारण के अस्वीकार कर दिया जाता है अथवा भुगतान में अनाव यक विलम्ब किया जाता है।

5. सीमांत एवं लघु किसानों की कम भागीदारी– यद्यपि योजना सभी किसानों के लिए उपलब्ध है, फिर भी सीमांत एवं लघु किसानों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम देखी गई है। इसका मुख्य कारण जागरूकता का अभाव, दस्तावेजीकरण की जटिलता तथा आर्थिक सीमाएँ हैं।

6. तकनीकी एवं डिजिटल अवसंरचना की कमी– योजना के अंतर्गत ऐप, पोर्टल, उपग्रह चित्रण एवं डोन तकनीक का उपयोग किया जाता है। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा, डिजिटल साक्षरता तथा तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण इनका उपयोग नहीं हो पाता।

7. प्र ासनिक समन्वय का अभाव–योजना के सफल संचालन में कृशि विभाग, राजस्व विभाग, बीमा कंपनियॉ, बैंक तथा राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके मध्य समुचित समन्वय का अभाव योजना के क्रियान्वयन को प्रभावित करता है।

8. ऋणी एवं गैर –ऋणी किसानों के बीच असमानता– यद्यपि वर्तमान व्यवस्था में योजना स्वैच्छिक है, फिर भी अनेक क्षेत्रों में ऋणी किसानों को योजना की अधिक जानकारी एवं सुविधा प्राप्त होती है, जबकि गैर–ऋणी किसान अपेक्षाकृत कम संख्या में योजना से जुड़ पाते हैं।

9. बीमित क्षेत्र एवं वास्तविक क्षेत्र में अंतर– कई बार किसानों द्वारा घोशित फसल क्षेत्र एवं राजस्व अभिलेखों में अंतर पाया जात है। इससे दावा स्वीकृति में कठिनाई उत्पन्न होती है तथा अनेक किसान मुआवजा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

10. जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौती – जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति एवं तीव्रता में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्तमान बीमा व्यवस्था सभी प्रकार के स्थानीय एवं दीर्घकालिक जलवायु जोखिमों को प्रभावी रूप से कवर करने में अभी भी अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है।

11. ि कायत निवारण तंत्र की कमजोरी– कई क्षेत्रों में किसानों की ि कायत का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान नहीं हो पाता। ि कायत निवारण प्रणाली को और अधिक पारद ी एवं उत्तरदायी बनाए जाने की आव यकता है।

12. निजी बीमा कंपनियों की लाभ– केंद्रित प्रवृत्ति– कुछ अध्ययनों में यह पाया गया है कि कुछ निजी बीमा कंपनियॉ किसानों की अपेक्षा लाभ अर्जित करने पर अधिक ध्यान देती हैं। इससे किसानों का योजना पर वि वास प्रभावित होता है।

© 2026 The Author(s). Published by IJCOPE Journal. Website: https://ijcope.org/

सुझाव– अध्ययन के निश्कर्शों के आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रभाव ीलता बढ़ाने तथा कृशकों को अधिक लाभान्वित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

1. किसानों में जागरूकता बढाने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाना– अध्ययन से स्पश्ट होता है कि अनेक कृशक योजना की पात्रता, बीमा प्रीमियम , दावा प्रक्रिया, अंतिम तिथि तथा लाभों से पूर्णतः परिचित नहीं हैं। इसलिए कृशि विभाग, ग्राम पंचायत, कृशि विज्ञान केंन्द्र , सहकारी समितियों तथा बैंकों के माध्यम से नियमित जागरूकता ि ाविर आयोजित किए जाएं। स्थानीय भाशा में पुस्तिकाएं , रेडियो, दूरद ान, सो ाल मीडिया तथा मोबाइल संदे ों के माध्यम से भी योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

2. फसल की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए दावा प्रक्रिया को सरल बनाना– किसानों की सबसे बड़ी समस्या दावा भुगतान में होने वाला विलम्ब है। इसलिए फसल क्षति के आकलन से लेकर दावा रा ा के भुगतान तक प्रत्येक चरण के लिए लिए नि चत समय–सीमा निर्धारित की जाए। प्रत्येक किसान को ऑनलाइन अथवा एस0 एम0 एस0 के माध्यम से अपने दावे की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिससे प्रक्रिया अधिक पारद ीं और वि वसनीय बने।

3. फसल बीमा की प्रभाव ीलता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग– फसल क्षति के आकलन में ड्रोन, उपग्रह चित्र, रिमोट सेंसिंग, जी0पी0एस0 तथा मोबाइल एप आधारित निरीक्षण प्रणाली का उपयोग किया जाए। इससे क्षति का आकलन अधिक सटीक, भीघ्र और निश्पक्ष होगा तथा दावा निस्तारण में अनाव यक विलम्ब कम होगा।

4. किसानों के दावा निस्तारण के लिए बीमा कम्पनियों की जवाबदेही सुनि चत करना –बीमा कंपनियों के कार्यो की नियमित समीक्षा की जाए तथा दावा भुगतान में अनाव यक विलम्ब होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। यदि निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो आव यकतानुसार दंडात्मक प्रावधान या विलम्ब पर ब्याज जैसी व्यवस्थाओं पर भी विचार किया जा सकता है।

5. बीमा के प्रीमियम व दावा के निस्तारण के लिए बैंकों की भूमिका व उत्तरदायित्व भी सुनि चत करना– बैंक किसानों को बीमा योजना से संबधित जानकारी उपलब्ध कराएं तथा प्रीमियम कटौती, पंजीकरण और दावा प्रक्रिया में आव यक सहयोग दें। ऋणग्राही एवं गैर– ऋणग्राही दोनों प्रकार के किसानों को समान रूप से योजना के लाभों की जानकारी प्रदान की जाए।

6. बीमा कवरेज कुछ चुनिंदा फसलों तक ही सीमित न करके उसका विस्तार अन्य फसलों के लिए भी किया जाए– योजना का लाभ छोटे एवं सीमांत किसानों के साथ–साथ पट्टेदार तथा बटाईदार किसानों तक भी प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए। पात्र किसानों का अधिकतम पंजीकरण सुनि चत करने के लिए ग्राम स्तर पर वि ोश अभियान चलाए जाएं।

7. ि ाकायत निवारण तंत्र को प्रत्येक स्तर पर सुदृढ़ व सरल बनाना– प्रत्येक जनपद में प्रभावी ि ाकायत निवारण केंन्द्र स्थापित किए जाएं, जहां किसान अपनी समस्यायों का भीघ्र समाधान प्राप्त कर सकें। हेल्पलाइन नंबर, ऑनलाइन पोर्टल तथा मोबाइल एप के माध्यम से ि ाकायत दर्ज करने और उसकी प्रगति की निगरानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

8. स्थानीय प्र ाासन कृशि विभाग व बीमा कम्पनी के मध्य समन्वय स्थापित करना– राजस्व विभाग, कृशि विभाग, बीमा कंपनियों तथा बैंकिग संस्थाओं के बीच समन्वय बढ़ाया जाए ताकि फसल क्षति का आकलन एवं दावा प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।नियमित समन्वय बैठकों से प्र ाासनिक बाधाओं को कम किया जा सकता है।

© 2026 The Author(s). Published by IJCOPE Journal. Website: https://ijcope.org/

9. कृशकों के लिए कृशि कार्य की आधुनिक तकनीक म ीन आदि के प्रि क्षण की व्यवस्था करना– कृशकों को आधुनिक कृशि तकनीकों, जोखिम प्रबंधन, डिजिटल पंजीकरण एप के उपयोग तथा बीमा प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए नियमित प्रि क्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इससे किसान योजना का बेहतर लाभ उठा सकेंगे।

10. योजना में निरन्तर सुधार किया जाना– सरकार को समय –समय पर योजना की समीक्षा कर किसानों, कृशि वि ोशज्ञों, बीमा कंपनियों एवं अन्य हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर आव यक सं ोधन करने चाहिए। इससे योजना अधिक व्यवहारिक, पारद ीं तथा किसान– केंद्रित बन सकेगी।

संदर्भ–

1. महाजन एस. एस. और बोबडे ए.एम. (2012) "एनएआईएस की वृद्धि भारत में फसल बीमा का एक अध्ययन।" वॉल्यूम–3, पृ–1–16।

2. मनोजकुमार के., श्रीकुमार बी. और अजीथ कुमार जी.एस. (2003) "फसल बीमा योजना–वायनाड जिले के केले किसानों का एक अध्ययन।" केरल रिसर्च प्रोग्राम ऑन लोकल लेवल डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज चर्चा पत्र नं–54, पृ–1–13। 3.

3. सादती एस.ए., घोबादी एफ.आर., सादुती एस.ए., मोहामुदी वाई., शरीफी ओ. और असकेरेह ए. (2010) "किसानों में फसल बीमा अपनाने पर प्रभावी कारकों का सर्वेक्षण बेहबहान देश का एक अध्ययन।" अफ्रीकन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, वॉल–5, नं–16, पृ–2237–2242।–

4. सुंदर जे. और रामकृष्णा एल. (2013) "किसानों की जागरूकता, धारणा और फसल बीमा में शामिल होने और भुगतान करने की इच्छा पर एक अध्ययन।" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट इन्वेंशन, वॉल्यूम–2, अंक–1, पृ–48–54।

5. राठौर वंदना (2017) "भारत में पीएमएफबीवाई और अन्य फसल बीमा मॉडलों का प्रदर्शन।" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वॉल–2, अंक–5, आईएसएसएन–2455–4030, पृ–602–607।

6. सोना एच. सी. और मुनिराजु वाई. (2018) "भारत में फसल बीमा की स्थितिरू कर्नाटक राज्य के कोडगु जिले के संदर्भ में एक अध्ययन।" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वॉल–5, अंक–3(9), पृ–1–13।–

7. शर्मा, आर. एवं सिंह, पी. (2020). भारत में फसल बीमा योजनाओं का प्रभाव एक जिला–स्तरीय अध्ययन। भारतीय कृषि अर्थशास्त्र जर्नल।

8. राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण, 2022. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल व्यवहार्यता अध्ययन।

9. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद , 2023. फसल विविधीकरण और जोखिम प्रबंधन पर शोध अध्ययन।

10. एशियाई विकास बैंक , 2023. एशिया में कृषि जोखिम प्रबंधन और बीमा।